

## आवेदन हेतु पात्रता :-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति, पत्नी तथा अव्यस्क बच्चे से है) के पास प्रश्नगत प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की विकसित कालोनियों में कोई अपना आवासीय सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में से एक से अधिक आवासीय सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का आवंटन हो जाना पाया जाता है तो यह पंजीकरण / आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. भूखण्ड के आवंटन हेतु केवल पति / पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी का संयुक्त रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

## आवंटन व भुगतान की प्रक्रिया:-

1. पंजीकरण विवरण पुस्तिका ₹0-500.00 (जी०एस०टी० सहित) / ₹0-1000.00 (जी०एस०टी० सहित) आनलाईन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट [www.gdagkp.in](http://www.gdagkp.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	कुल भूखण्ड	क्षेत्रफल रेंज	भूखण्ड की दरें प्रतिवर्ग मीटर	पंजीकरण राशि की गणना हेतु भूखण्ड का क्षेत्र	सामान्य वर्ग हेतु पंजीकरण की न्यूनतम धनराशि 10% (रुपये में)	आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण की न्यूनतम धनराशि 5% (रुपये में)
1	EWS	482	UPTO 35 sqmt.	38,300/-	35 वर्ग मी०	1,34,050/-	67,025/-
2	LIG	468	36-50 sqmt.	39,120/-	36 वर्ग मी०	1,40,832/-	70,416/-
3	MIG	160	51-150 sqmt.	42,000/-	51 वर्ग मी०	2,14,200/-	1,07,100/-
4	HIG	376	151-300 sqmt.	43,000/-	151 वर्ग मी०	6,49,300/-	3,24,650/-
5	SuperHIG	75	301 sqmt. & above	43,500/-	301 वर्ग मी०	13,09,350/-	6,54,675/-

क्र. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	कुल भूखण्ड	क्षेत्रफल रेंज	भूखण्ड की दरें प्रतिवर्ग मीटर	पंजीकरण राशि की गणना हेतु भूखण्ड का क्षेत्र	सामान्य वर्ग हेतु पंजीकरण की न्यूनतम धनराशि 10% (रुपये में)	आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण की न्यूनतम धनराशि 5% (रुपये में)
1	GROUP HOUSING	4	6612.99 To 9022.34 Sqmt.	58,680/-	6612.99 Sqmt.	3,88,05,025/-	1,94,02,513/-
2	Hotel	1	4571.97 Sqmt.	78,240/-	4571.97 Sqmt	3,57,71,093/-	1,78,85,547/-
3	Multiplex	1	4304.00 Sqmt.	78,240/-	4304.00 Sqmt	3,36,74,496/-	1,68,37,248/-
4	Bazar Street Commercial	24	1100-1210 Sqmt. 3000-3100 Sqmt.	78,240/- 78,240/-	1100 Sqmt. 3000 Sqmt.	86,06,400/- 2,34,72,000/-	43,03,200/- 1,17,36,000/-
5	Other Commercial	28	330-599 Sqmt. 600-900 Sqmt. 901-1200 Sqmt. 2400-4300 Sqmt.	78,240/- 78,240/- 78,240/- 78,240/-	330 Sqmt. 600 Sqmt. 901 Sqmt. 2400 Sqmt.	25,81,920/- 46,94,400/- 70,49,424/- 1,87,77,600/-	12,90,960/- 23,47,200/- 35,24,712/- 93,88,800/-
6	Hospital (Semi Public)	8	580-1200 Sqmt.	39,120/-	580 Sqmt.	22,68,960/-	11,34,480/-
7	Big Hospital	1	3000-3200 Sqmt.	39,120/-	3000 Sqmt.	1,17,36,000/-	58,68,000/-
8	School	1	3141.09 Sqmt.	39,120/-	3141.09 Sqmt.	1,22,87,944/-	61,43,972/-

2. निर्धारित पंजीकरण धनराशि आनलाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
3. उपरोक्त सम्पत्तियों का आवंटन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-लॉटरी / ई-नीलामी के माध्यम से भूखण्ड के प्रकृति के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रत्येक भूखण्ड हेतु ई नीलामी न्यूनतम प्राप्त दो आवेदनकर्ताओं के मध्य ही की जायेगी।
5. ई-लॉटरी / ई-नीलामी के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता, सुगमता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत एक ही न्यूनतम पंजीकरण धनराशि से एक ही श्रेणी में विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों को पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के सम्पत्तियों हेतु सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के पंजीकरण की न्यूनतम धनराशि उपरोक्त चार्ट के अनुसार जमानत धनराशि के रूप में जमा कर ई-लॉटरी / ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है। प्रथम भूखण्ड आवंटित होते ही सेक्टर के अन्य भूखण्डों में प्रतिभाग किया जाना निषेध होगा। एक ही सेक्टर में एक व्यक्ति / परिवार द्वारा एक से अधिक पंजीकरण मान्य नहीं होंगे।
6. उपरोक्त सम्पत्तियों के लिए ई-लॉटरी / ई-नीलामी में सफल आवेदकों को सम्पत्ति मूल्य का 25% आवंटन धनराशि एवं वास्तविक मूल्य के आधार पर पंजीकरण के अन्तर की धनराशि को आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिवस के अन्दर तथा अवशेष 65% धनराशि 2.5 वर्ष की त्रैमासिक समान किस्तों में जमा करना होगा जिसकी सूचना आवंटन पत्र के साथ दी जायेगी। विलम्ब की स्थिति में आवासीय सम्पत्ति में 13% एवं व्यावसायिक सम्पत्ति में 15% अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवंटन धनराशि व किस्तों का समय से भुगतान न करने की स्थिति में उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. **EWS** श्रेणी के आवेदकों के लिए अधिकतम रु 3,00,000 /— तक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा **LIG** श्रेणी के आवेदकों हेतु रु 3,00,001 से रु 6,00,000 /— तक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र ( सक्षम प्राधिकारी / तहसीलदार / मजिस्ट्रेट द्वारा जारी) पंजीकरण के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. एम.आई.जी., एच.आई.जी. एवं सुपर एच.आई.जी. के भूखण्ड हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त अनुबंध / रजिस्ट्री के समय फ्री-होल्ड चार्ज (भू-मूल्य का 12 प्रतिशत) नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी, 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क तथा समय-समय पर शासन / बोर्ड / माननीय न्यायालयों द्वारा कोई अन्य शुल्क जो नियमानुसार देय होंगे पृथक से लिए जायेंगे।
10. ई-लॉटरी एवं ई-नीलामी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि नियमानुसार ई-लॉटरी / ई-नीलामी होने के उपरान्त प्रशासनिक व्यय रु. 1000.00 की कटौती के उपरान्त आवेदक के बैंक खाते में वापस कर दिये जायेंगे। इस हेतु सभी आवेदकों को अपना बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. देना अनिवार्य होगा।
10. सम्पत्ति आवंटन नियमावली के अनुसार समस्त नियम एवं शर्तें लागू होंगी। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
11. भूखण्ड का क्षेत्रफल / मूल्य अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक घट / बढ़ सकता है।
12. किसी भी तरह के वाद-विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
13. एक मुश्त धनराशि जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट (**REBATE**) देय होगी।

सचिव  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण